न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज मलखान ....बनाम.......... सोन मु.नं. 66/ 58/24 T.B.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मंजारी हुए
	8/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.2 पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.2 दिनांक 14.8.25 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	14.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दल वाद के साथ नत्थी हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58/2024	04.09.2024	14.08.2025

बउनवान

1. मलखान यादव पुत्र स्व. श्री बुधराम यादव, निवासी कोट, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी/सायल

बनाम

1. सोनू यादव पुत्र स्व. श्री बुधराम यादव, निवासी कोट, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. इन्द्रा देवी पत्नी स्व. श्री बुधराम यादव, निवासी कोट, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. श्यामवती पुत्री स्व. श्री बुधराम पत्नी लालाराम यादव, हाल निवासी बुटियाना बाया बडोदा मेव, तहसील लक्ष्मणगढ, अलवर।
4. रामवती पुत्री स्व. श्री बुधराम पत्नी महेशचन्द यादव, हाल निवासी बुटियाना बाया बडोदा मेव, तहसील लक्ष्मणगढ, अलवर।
5. चन्दो देवी पत्नी स्व. परभाती, निवासी कोट, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. कलावती पुत्री परभाती पत्नी जगदीश यादव, निवासी हालत फटका, पोस्ट दुदावल नगर, भरतपुर।
7. प्रेमवती पत्नी सियाराम यादव पुत्री प्रभाती, निवासी हाल सारंगपुरी कोठीवाडा बास, खोह तहसील लक्ष्मणगढ अलवर।
8. उपपंजीयक कम तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री प्रदीप चौधरी, श्री रतनचन्द शर्मा।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. 52 के खसरा सं. 1454 रकबा 0.27 हैक्टे., खाता सं. 210 के खसरा सं. 1780 रकबा 0.35 हैक्टे., 1783 रकबा 0.12 हैक्टे., 1784/2 रकबा 0.03 हैक्टे., कुल किता 03, कुल रकबा 0.50 हैक्टे., खाता सं. 211 के खसरा सं. 1707 रकबा 0.70 हैक्टे., खाता सं. 212 के खसरा सं. 1456 रकबा 0.30 हैक्टे., खाता सं. 223 के खसरा सं. 1455 रकबा 0.25 हैक्टे., 1705 रकबा 0.35 हैक्टे., 1708 रकबा 0.16 हैक्टे., कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट, भू अभिलेख निरीक्षक हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। सायल के परिवार का सजरा निम्नानुसार है–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रभाती पुत्र शंकर (फौत) दिनांक 27.12.2017

चन्दो देवी पत्नी	बुद्धराम यादव पुत्र फौत दिनांक 15.11.93	कलावती पुत्री	प्रेमदेवी पुत्री

इन्दा देवी पुत्रवधू	मलखान यादव पौत्र (वादी)	सोनू यादव पौत्र	श्यामवती पुत्री (विवाहित)	रामवती पुत्री (विवाहित)

सायल के पिता बुद्धराम की मृत्यु दिनांक 15.11.93 को सायल के दादा प्रभाती पुत्र शंकर के जीवनकाल में ही हो चुकी थी जबकि सायल के दादा की मृत्यु दिनांक 27.12.2017 को हो चुकी है जो विवादित आराजीयात के मुताबिक जमाबन्दी 2077 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे। सायल के दादा प्रभाती पुत्र शंकर की मृत्यु के पश्चात, मुताबिक सजरा, सायल एवं गैरसायल सं. 1 ता. 7 वारिसान है परन्तु गैरसायला कलावती, प्रेमदेवी, श्यामवती व रामवती का विवाह हो चुका है जो अपनी–अपनी ससुराल में निवास कर रही है। खाता सं. 52 के खसरा सं. 1454 रकबा 0.27 हैक्टे. में सायल के दादा परभाती का 1/2 भाग खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। इस कारण सायल एवं गैरसायल सं. 1 लगायत 7 का प्रत्येक का 1/16 भाग हिस्से में आता है। खाता सं. 210 के खसरा नं 1780 रकबा 0.35 हैक्टे., 1783 रकबा 0.12 हैक्टे., 1784/2 रकबा 0.03 हैक्टे., कुल रकबा 0.50 हैक्टे. में सायल के दादा परभाती की सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी में है। इस कारण सायल एवं गैरसायल सं. 1 ता. 7 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा बंट में आता है। खाता सं. 211 के खसरा नं 1707 रकबा 0.70 हैक्टे., सायल के दादा का हिस्सा 5/14 मुताबिक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है जिसमें सायल एवं गैरसायल सं. 1 ता 7 का प्रत्येक का 5/112 भाग हिस्से में आता है। खाता सं. 212 के खसरा सं. 1456 रकबा 0.30 हैक्टे. में सायल दादा का 1/2 हिस्सा होता है। इस कारण सायल व गैरसायल सं. 1 ता. 7 का प्रत्येक का 1/16 भाग हिस्से में आता है। खाता सं. 223 के खसरा सं. 1455, 1705 व 1708 रकबा क्रमशः 0.25 हैक्टे., 0.35 हैक्टे. तथा 0.16 हैक्टे., कुल रकबा 0.76 में सायल के दादा का हिस्सा 1/2 होता है। इस कारण सायल व गैरसायल नं 1 ता. 7 का प्रत्येक का 1/16 भाग हिस्से में आता है। सायल के दादा परभाती पुत्र शंकर की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण अभी तक नहीं खुला है। इसी का नाजायज लाभ लेने के लिए गैरसायल सं. 1 ता. 7 उतारू है। सायल एवं सायल सं. 1 व 2 तथा 5 खातेदार परभाती की मृत्यु के पश्चात उसके तर्के पर काबिज काश्त है क्योंकि प्रतिवादी नं. 3, 4, 6, 7 का विवाह हो चुका है जो अपनी ससुराल में निवास करती है। गैरसायल सं. 1 शरावी एवं वदखर्ची व्यक्ति है जो अपने गलत लतों के लिए उल्टे–सीधे विधि विरुद्ध कार्य करते चले आये है तथा सायल सरकारी सेवा में होने के कारण अन्य जिले में सेवारत है जो समय–समय पर अपने दादा से विरासत में प्राप्त कृषि भूमि विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र पर काश्त दोहन करने आता है परन्तु गैरसायल सं. 1 को गैरसायल सं. 2 व 5 का संरक्षण प्राप्त होने से विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र को नाकाबिल काश्त करने के इरादे से जगह–जगह से खेतों की मिटटी का अवैध खनन करा रहा है तथा मिटटी को दीगर लोगों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

को बेच रहा है ,जगह जगह आराजी वादगस्त में गढढे करा दिया है। सायल द्वारा गैरसायल सं. 1 को समझाने की कोशिश की तो मानने को तैयार नहीं है। दिनांक 23.7.24 को सुबह आठ बजे गैरसायल नं. 1 विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र पर अपने किसी परिचित के ट्रैक्टर ट्रोली को लेकर आया और ट्रैक्टर वाले ड्राईवर को बताने लगा कि आपको सभी खेत में मिटटी खुदाई करानी है। इस पर सायल ने गैरलायल सं. 1 व साथ आये ट्रैक्टर ड्राइवर से कहा कि भाईयों अभी तो दादा की विरासत या नामान्तकरण भी नहीं खुला है और ना ही सभी खातेदारों के मध्य भूमि का विधिवत बंटवारा हुआ है तो आप ऐसे मिटटी कैसे खोद सकते हो तो गैरसायल नं 1 एकदम से नाराज हो कर धमकी देकर बोला कि मैने जैसे लट्ठ के बल पर मिटटी खुदाई की है, अभी भी लट्ठ के बल पर मिटटी खुदाई करूँगा और कहने लगा कि मैं दादी चन्दो. मां इन्द्रा व बुहा कलावती व प्रेमदेवी तथा बहिन श्यामवती व रामवती के नाम जमीन का नामान्तरकरण खुलाकर बिना बंटवारा ही किसी लठ्ठ वाले व्यक्ति को मेरे हिस्से सहित रहन, बय व विक्रय कर दूंगा तो फिर तुम मुझे विवादित आराजीयात पर कैसे प्रतिबन्धित करोगे। गैरसायल सं. 1 की इस धमकी के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा करना लाजमी आया है। गैरसायल सं. 1 अपनी धमकी में कामयाब हो गया तो सायल को अकथनीय क्षति होगी। सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है। दौराने दावा गैरसायलान को पाबन्द करने से उन्हें कोई हानि नहीं है जबकि गैरसायलान को पाबंद नहीं करने से सायल को अकथनीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि गैरसायलान को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा आदेश दिया जावे कि विवादित आराजीयात में ताफैसला दावा किसी प्रकार से मिट्टी खोदकर नाकाबिल काश्त नहीं करें, रहन बय मुन्तकिल नहीं करे, ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

2. अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध किया जाकर दिनांक 04.09.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1454, 1780, 1783, 1784/2, 1707, 1456, 1455, 1705, 1708 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी के दादाजी प्रभाती पुत्र शंकर दर्ज रिकॉर्ड खातेदार होने के कारण विवादित आराजीयात में प्रार्थी के खातेदारी हक निहित हैं। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। विवादित आराजीयात का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1454, 1780, 1783, 1784/2, 1707, 1456, 1455, 1705, 1708 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 04.09.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। विवादित आराजीयात में किसी प्रकार से मिट्टी खोदकर नाकाबिल काश्त नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 14.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)